

मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग(एस0एच0-84) पर स्थिति रिटेल
आउटलेटस/ पेट्रोल पम्पों के पक्ष में विमुक्त/अपयोजित वन भूमि सन्निहित माने
जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग(एस0एच0-84) के
4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु मैनपुरी में किमी0-21.000 से 43.800 तक 24.92755
है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों/पौधों के
पातन के अनुमति प्रस्ताव में योजना हेतु अपयोजित कुल भूमि 24.92755 है0 में वन (संरक्षण)
अधिनियम, 1980 के तहत शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग (एस0एच0-84) पर स्थित रिटेल
आउटलेटस/ पेट्रोल पम्पों के पक्ष में विमुक्त/अपयोजित वन भूमि सन्निहित मानी जायेगी।

11.7.2018
(अरविन्द कुमार)
अधिसूचना अधिकारी
प्रान्तीय स्तर पर जल विभाग, मैनपुरी
72